न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
42/2019	धारा 212 RTA	31.07.2019	04.02.2020

डेडाराम पुत्र श्री चूनाराम जाति ब्राह्मण निवासी घण्टेल तहसील व जिला चूरू

–प्रार्थी–

बनाम

1. चनणाराम पुत्र चूनाराम
2. ताराचन्द पुत्र चूनाराम
3. उदाराम पुत्र सत्यनारायण
4. शांति पत्नी सत्यनारायण

} जाति ब्राह्मण निवासीगण घण्टेल तहसील व जिला चूरू

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से उपरोक्त अनुवान का दावा माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी पूरी आशा है। अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 उक्त दावा में बतौर प्रतिवादीगण सं. 2 से 5 पक्षकार दावा है। यह कि कृषि भूमि खेत ख.न. 225 रकबा 5.6403 हैक्टेयर वाके राही घंटेल तहसील व जिला चूरू में स्थित है। जो कृषि भूमि मूल दावा के वादी प्रतिवादगण सं. 1 से 14 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। उक्त कृषि भूमि वादी व मूल दावा के प्रतिवादीगण सं. 1 से 14 की पैतृक सम्पति की कृषि भूमि है। यह कि वादगत कृषि भूमि खेत ख.न. 225 रकबा 5.6403 हैक्टेयर वाके रोही घंटेल पहले वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 तथा उनकी माता कमी पत्नी व वादी के भाई मुकनाराम व सत्यनारायण के ब हिस्सा बराबर 1/7–1/7 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त में दर्ज चली आई है। वादी प्रार्थी की माता कमी पत्नी चूनाराम का स्वर्गवास काफी अर्सा पूर्व हो चुका है। स्वर्गीय कमी पत्नी चूनाराम की मृत्यु के बाद उसके सभी छः पुत्र लच्छीराम, मुकनाराम, चनणाराम, ताराचन्द सत्यनारायण व प्रार्थी वादी उक्त कृषि भूमि में 1/6–1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हुए मगर अमला राज की गलती से आज तक प्रार्थी वादी व उसके सभी शेष भाईयों एवम् सत्यनारायण व मुकनाराम के वारिसान के नाम से स्वर्गीय कमी की खातेदारी भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं किया गया है तथा आज भी स्व. कमी का नाम बतौर खातेदार वादगत भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। इस कारण प्रार्थी वादी ने वादगत भूमि में अपना 1/6 हिस्सा खातेदारी में होना घोषित करवाने तथा अपना 1/6 हिस्सा अलग विभाजित करवा कर उसका अलग खाता व लगान कायम करवाने हेतु वादपत्र श्रीमान्जी के न्यायालय में पेश कर रखा है जिसमें आज की तारीख पेशी नियत है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि प्रार्थी वादी द्वारा वादपत्र पेश किये जाने तथा वाद पत्र के सम्मन प्रतिवादीगण को भिजवाये जाने से नाराज हो कर अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 ने एक नाजायज गिरोह

बना लिया है तथा वादगत कृषि भूमि की मौका की स्थिति को बदल डालने पर आमदा है जिसके लिए अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 ने वादगत कृषि भूमि पर जोधपुरी पट्टियां डलवा ली है तथा अन्य निर्माण सामग्री डलवा कर शीघ्र अति शीघ्र निर्माण करके या अन्य कार्य करके वादगत कृषि भूमि के मौका की स्थिति को बदल डालना चाहते है तथा मौका की स्थिति को परिवर्तित करके प्रार्थी वादी के हक में मूल दावा में वर्णित अनुतोष प्राति करने में व्यवधान पैदा कर रहे है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा दौरान वाद गत कृषि भूमि के मौका की स्थिति को यथावत बनाये रखे तथा वादगत भूमि पर कोई निर्माण अथवा अन्य कार्य न करें जिससे वादगत भूमि की मौका की स्थिति में बदलाव होता हो। यह कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 अन्य लोगों की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिसकी मौका की स्थिति यथावत बनी रहने की अवस्थित में किसी भी पक्षकार को काई असुविधा व क्षति होने वाली नहीं है। प्रार्थी वादगत भूमि का संयुक्त खातेदार काश्तकार है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के हक में साबित सुदा है। दिगर अवस्था में अप्रार्थीगण द्वारा वादगत भूमि की मौका स्थिति को बदल डालने की अवस्था में प्रार्थी न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जावेगा।

अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण स. 1 से 4 को जरिये अस्थयी निषेधाज्ञा दौराने दावा वर्जित फरमाया जावे कि वे कृषि भूमि खेत ख. न. 225 तादादी 5.6403 हैक्टेयर वाके रोही घंटेल के मौका की स्थिति दौराने दावा यथावत बनाये रखे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये जिस पर अप्रार्थीगण की ओर से श्री श्यामलाल सैनी एडवोकेट उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा। वकील प्रार्थी को समय दिया गया। आगामी तारीख पेशी पर वकील अप्रार्थीगण ने जवाब न देकर फिर समय चाहा, जिस पर वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण का जवाब बन्द कर बहस का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने सीधे बहस का निवेदन किया जिस पर अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वादगत कृषि भूमि का संयुक्त खातेदार व काबिज काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण सह खातेदार हैं। वादगत कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से किसी भी पक्षकार को कोई असुविधा व क्षति होने की सम्भावना नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। वकील अप्रार्थीगण ने बहस में जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि होने से सम्पूर्ण कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से सह खातेदारों के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ना स्वाभाविक है। प्रार्थी के हिस्से तक रिकार्ड की यथास्थिति जारी करने पर आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जमाबन्दी के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 225 तादादी 5.6403 हैक्टेयर रोही ग्राम घण्टेल प्रार्थी डेडाराम व अप्रार्थीगण के साथ-साथ अन्य सह खातेदारों की संयुक्त खातेदारी की

भूमि है। प्रार्थी ने वादगत कृषि भूमि बाबत खातेदारी घोषणा, खाता विभाजन एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती का दावा न्यायालय में पेश कर रखा है जो जेरकार है। दौराने सुनवाई दावा अप्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं इसलिए प्रार्थी ताफैसला दावा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित करवाना चाहता है। प्रस्तुत प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस में कथन किया गया कि सम्पूर्ण कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से सह खातेदारों के खातेदारी हक, अधिकारों पर विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए बिना किसी उचित कारण व आधार के सम्पूर्ण कृषि भूमि पर सह खातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थी के हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया है। साथ ही प्रार्थी ने ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं किया है जिससे सह खातेदारों के खिलाफ सम्पूर्ण कृषि भूमि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हो। पत्रावली एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन एवं बहस के तथ्यों पर मनन से यह स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के साथ अन्य सह खातेदारों की संयुक्त खातेदारी की है। इसलिए वादगत सम्पूर्ण कृषि भूमि पर बिना किसी उचित आधार के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी अपने खातेदारी हिस्से की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है जिससे अन्य सह खातेदारों के हक अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा अप्रार्थीगण को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि वे वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 225 तादादी 5.6403 हैक्टेयर रोही ग्राम घण्टेल तहसील चूरू की भूमि में प्रार्थी डेडाराम की खातेदारी के 1/7 हिस्से तक की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 04.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू